

मुकदमों का विवरण

आय कर आयुक्त कर 14 v.

जस्जीत सिंह

(सिविल अपील सं. 2023 का 6566) 26 सितंबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: तलाशी और जब्ती में, निर्धारण अधिकारी की राय थी कि कुछ दस्तावेज और सामग्री जो उत्तरदाताओं (निर्धारिती) से संबंधित हैं, शामिल थे-संबंधित क्षेत्राधिकार वाले ए. ओ. द्वारा उक्त निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि जिस अवधि के लिए उन्हें रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता थी, वह केवल उस तारीख से शुरू हुई थी जब सामग्री उनके ए. ओ. को भेजी गई थी।

आय कर अधिनियम, **1961 -s.153C**-राजस्व ने आग्रह किया कि मुख्य निर्धारिती यू/एस के संबंध में तारीख (उस अवधि से संबंधित जिसके लिए छह साल के रिटर्न निर्धारिती के नेतृत्व में किए जाने थे) उस तारीख से होनी चाहिए जब तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की गई थी। **132** - राजस्व ने तर्क दिया कि [धारा **153 (सी) (1)** के लिए] परंतुक उपशमन के प्रश्न के लिए अपने आवेदन में निहित है।

आयोजित किया गया: धारा 153 सी (1) की एक स्पष्ट व्याख्या पर यह स्पष्ट है कि परंतुक को अधिनियमित करने का संसदीय इरादा न केवल उपशमन के प्रश्न को पूरा करना था, बल्कि उस तारीख के संबंध में भी था, जिससे छह साल की अवधि की गणना की जानी थी, जिसके संबंध में रिटर्न का नेतृत्व तीसरे पक्ष द्वारा किया जाना था (जिनके परिसरों की तलाशी नहीं ली गई है और जिनके संबंध में धारा 153 सी के तहत विशिष्ट सी प्रावधान लागू किया गया था)-राजस्व का तर्क असंगत और योग्यता के बिना है-यह काफी प्रशंसनीय है कि एसएसपी एविएशन द्वारा अपनाई गई व्याख्या के बिना, एओ ने सामग्री को जब्त कर लिया-तलाशी दल, यू/एस। 132 - तीसरे पक्ष से संबंधित कागजात और सामग्री को संबंधित ए. ओ. को अग्रेषित करने के लिए अपना समय लेगा-उस स्थिति में यदि तारीख वस्तुतः "वापस संबंधित" होगी जैसा कि राजस्व द्वारा तर्क दिया जाना चाहिए, (जब्ती की तारीख तक), 707

706

आय कर आयुक्त 14 बनाम जस्जीत सिंह 708

तीसरे पक्ष के कारण होने वाला पूर्वाग्रह, जिसे कार्यवाही में खींचा जाएगा क्योंकि यह अनजाने में था (और कई मामलों में इसका कोई संबंध नहीं है), असमानुपाती है। [पैरा 9,10]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

एस. एस. पी. एविएशन लिमिटेड बनाम आय कर उपायुक्त (2012) 346

आई. टी. आर. 177-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय: 2023 की सिविल अपील सं. 6566/2015 के आई. टी. ए. No. 337 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.08.2015 निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की सिविल अपील Nos. 6567, 6568 और 6589।

रूप:

एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., राज बहादुर यादव, वी. सी. भारती, ए. के. कौल, प्रियंका दास, सबरीश सुब्रमण्यम, रुपेश कुमार, निशा बागची, अनमोल चंदन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अजय वोहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. आर. मंजानी, पंकज कुमार सिंह, कैलाश जे. कश्यप, के. एल. जंजीनी, सुश्री कविता झा, अजय वोहरा, उदित नरेश, आकाश शुक्ला, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्याय

1. एस. एल. पी. (सी) डी. आई. में देरी को माफ कर दिया गया। 2023 की सं. 30718 और सभी संबंधित याचिकाएँ।
2. विशेष अवकाश दिया गया। पक्षों के विद्वान वकील की सहमति से, अपीलों पर सुनवाई की गई।
3. अपीलों के इस समूह में राजस्व दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के चार सेटों पर सवाल उठाता है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय की धारा 260 ए के तहत उसकी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'आईटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। हालाँकि प्रत्येक अपील के तथ्य अलग-अलग होते हैं, लेकिन स्पष्टता और पूर्णता के उद्देश्यों के लिए 2016 के एसएलपी (सी) No.6644 से उत्पन्न अपील के तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। तथ्य यह है कि 19.02.2009 पर एक मेसर्स कोटॉन समूह के परिसर में तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की गई थी। जाँच के दौरान, आई. टी. अधिनियम की धारा 154 ए के तहत नोटिस जारी करने के बाद अधिकार क्षेत्र रखने वाले संबंधित मूल्यांकन अधिकारी (ए. ओ.) की राय थी कि कुछ दस्तावेज और सामग्री जो उत्तरदाताओं से संबंधित हैं, इसमें शामिल थे। इसलिए, उन्हें विभिन्न तिथियों पर उनके आकलन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले एओ द्वारा नोटिस जारी किए गए थे (यानी 2016 की एसएलपी (सी) संख्या 6644 और 2016 की एसएलपी (सी) संख्या 14447 में 25.02.2010, [2016 की एसएलपी (सी) संख्या 23621 में 12.03.2009 और 11.08.2014 [एसएलपी (सी) डायरी संख्या (ओं)।30718/2023])।

4. संबंधित क्षेत्राधिकार ए. ओ. द्वारा उक्त निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि जिस अवधि के लिए उन्हें रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता थी, वह केवल उस तारीख से शुरू हुई थी जब सामग्री उनके ए. ओ. को भेजी गई थी। दूसरी ओर, राजस्व ने आग्रह किया कि धारा 132 के तहत मुख्य निर्धारिती के संबंध में तारीख (उस अवधि से संबंधित जिसके लिए छह साल के रिटर्न निर्धारिती के नेतृत्व में किए जाने थे) उस तारीख से होनी चाहिए जब तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की गई थी।

5. विवादित आदेश ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "आई. टी. ए. टी". संदर्भित) के आदेश को बरकरार रखा, जिसने बदले में निर्धारिती की दलीलों की पुष्टि की।

6. यह राजस्व की ओर से सुश्री बागची, विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश गलत है क्योंकि धारा 153 (1) के परंतुक के तहत निर्दिष्ट तिथि धारा 153 ए के दूसरे परंतुक से संबंधित है, केवल जहां तक यह उपशमन से संबंधित है। राजस्व दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर निर्भर था, जिसे "एसएसपी एविएशन लिमिटेड बनाम एस. एस. पी. एविएशन लिमिटेड" के रूप में रिपोर्ट किया गया था। आय कर उपायुक्त ने (2012) 346 आई. टी. आर. 177 में सूचना दी। 7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 ए और धारा 153 सी, जहां तक वे प्रासंगिक हैं, नीचे दी गई हैं:-

"153 ए. (1) धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उस व्यक्ति के मामले में जहां धारा 132 709 के तहत तलाशी शुरू की गई है।

आय कर आयुक्त 14 बनाम जस्जीत सिंह 710 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

या लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या कोई संपत्ति धारा 132 ए के तहत 31 मई, 2003 61 के बाद अधिग्रहित की जाती है [लेकिन 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले], निर्धारण अधिकारी -

(क) ऐसे व्यक्ति को ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में और खंड (ख) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए आय की विवरणी देने के लिए सूचना जारी करना, निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से सत्यापन करना और ऐसे अन्य विवरण निर्धारित करना जो निर्धारित किए जाएं और इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे जैसे कि ऐसी विवरणी धारा 139 के तहत प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी थी।

(ख) उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पहले छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करें जिसमें ऐसी खोज की जाती है या मांग की जाती है और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए:

बशर्ते कि निर्धारण अधिकारी ऐसे छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करेगा: बशर्ते कि छह निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो, और इस उप-धारा में निर्दिष्ट प्रासंगिक निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, जो धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या धारा 132 ए के तहत मांग करने की तारीख पर लंबित है, समाप्त हो जाएगा:....”

“153 ग. (1) धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी भी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट किया जाता है कि -

((क) कोई धन, सराफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु, जिसे जब्त या अधिग्रहित किया गया है, उससे संबंधित है; या

(ख) धारा 153 क में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित कोई लेखा बहियां या दस्तावेज, जो जब्त या अधिग्रहित किए गए हैं या उनसे संबंधित हैं या उनमें निहित कोई जानकारी, तब जब्त या अधिग्रहित लेखा बहियां या दस्तावेज या संपत्ति,

ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और यह कि निर्धारण अधिकारी एक-दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा और धारा 153 क के प्रावधानों के अनुसार दूसरे व्यक्ति की आय का नोटिस जारी करेगा और मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करेगा, यदि उस निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जब्त या अधिगृहीत लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या परिसंपत्तियों का निर्धारण वर्ष से ठीक पहले छह निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के निर्धारण पर असर पड़ता है, जो उस पूर्व वर्ष से सुसंगत है जिसमें तलाशी ली जाती है या मांग की जाती है और धारा 153 क की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए।

बशर्ते कि ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले में, धारा 153 क की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में धारा 132 क के तहत तलाशी शुरू करने या धारा 132 क के तहत मांग करने की तारीख के

संदर्भ का अर्थ ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त या अधिग्रहित लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या संपत्तियों को प्राप्त करने की तारीख के संदर्भ के रूप में किया जाएगा: बशर्ते कि केंद्र सरकार अपने द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में मामलों के वर्ग या वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिसमें निर्धारण अधिकारी को उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से तुरंत पहले के छह निर्धारण वर्षों के लिए कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें तलाशी ली जाती है या मांग की जाती है और धारा 153 क की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रासंगिक निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, उन मामलों को छोड़कर जहां कोई मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन समाप्त हो गया है।”

8. एसएसपी एविएशन (ऊपर) में उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार तर्क दिया:-

“14. अब ऐसी स्थिति हो सकती है जब धारा 132 के तहत एक व्यक्ति पर की गई तलाशी के दौरान, किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित कुछ दस्तावेज या मूल्यवान संपत्ति या लेखा पुस्तकें मिल सकती हैं, जिनके मामले में तलाशी नहीं ली गई है। ऐसे मामले में, निर्धारण अधिकारी को पहले धारा 153 सी के तहत संतुष्ट किया जाना चाहिए, जो किसी अन्य व्यक्ति, यानी किसी अन्य व्यक्ति की आय के आकलन के लिए प्रावधान करता है, जो तलाशी के दायरे में नहीं आता है, कि लेखा पुस्तकें या अन्य 711

आय कर आयुक्त 14 बनाम जस्जीत सिंह 712

मूल्यवान वस्तु या दस्तावेज दूसरे व्यक्ति (खोजे गए व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति) का है। वह मूल्यवान वस्तु या लेखा बहियां या दस्तावेज दूसरे व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप देगा। इसके बाद, दूसरे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और धारा 153 ए के प्रावधानों द्वारा अनुध्यात तरीके से ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए उस व्यक्ति को नोटिस जारी करना होगा। अब अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 153 क के दूसरे परंतुक के लागू होने के बारे में एक सवाल उठ सकता है, ताकि लंबित कार्यवाहियों के सवाल की जांच की जा सके जिन्हें समाप्त करना है। तलाशी लिए गए व्यक्ति के मामले में, वह तिथि जिसके संदर्भ में छह मूल्यांकन वर्षों की अवधि के भीतर किसी भी मूल्यांकन वर्ष के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या धारा 132 ए के तहत मांग की तारीख है। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले में, पुरी समूह की कंपनियों के संदर्भ में, ऐसी तारीख 5.1.2009 होगी। हालांकि, दूसरे व्यक्ति के मामले में, जो वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता है, ऐसी तारीख ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त की गई लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या संपत्तियों को प्राप्त करने की तारीख होगी। दूसरे व्यक्ति के मामले में, छह मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के लंबित होने और कम होने के प्रश्न की जांच ऐसी तारीख के संदर्भ में की जाएगी।”

9. धारा 153 सी (1) की एक स्पष्ट व्याख्या पर यह स्पष्ट है कि परंतुक को अधिनियमित करने का संसदीय इरादा न केवल उपशमन के प्रश्न को पूरा करना था, बल्कि उस तारीख के संबंध में भी था, जिससे छह साल की अवधि की गणना की जानी थी, जिसके संबंध में विवरणी तीसरे पक्ष (जिसके परिसरों की तलाशी नहीं ली गई है और जिसके संबंध में धारा 153 सी के तहत विनिर्दिष्ट सी प्रावधान अधिनियमित किया गया था) के नेतृत्व में की जानी थी। राजस्व ने तर्क दिया कि [धारा 153 (सी) (1) के लिए] परंतुक उपशमन के प्रश्न के लिए अपने आवेदन में निहित है।

10. इस न्यायालय की राय है कि राजस्व का तर्क आधारहीन और आधारहीन है। यह काफी प्रशंसनीय है कि एसएसपी एविएशन ने जिस तरह की व्याख्या को अपनाया, उसके बिना ए. ओ. ने धारा 132 के तहत तलाशी दल की सामग्री को जब्त कर लिया-उसे आगे बढ़ाने में अपना समय लगेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

संबंधित ए. ओ. के लिए तीसरे पक्ष से संबंधित कागजात और सामग्री उस स्थिति में यदि तारीख वस्तुतः "वापस संबंधित" होगी जैसा कि राजस्व द्वारा तर्क दिया जाना चाहिए, (जब्त की तारीख तक), तीसरे पक्ष के लिए पूर्वाग्रह, जिसे कार्यवाही में खींचा जाएगा क्योंकि यह अनजाने में था (और कई मामलों में इससे कोई संबंध नहीं है), असमानुपाती है। उदाहरण के लिए, यदि कागजात वास्तव में धारा 153-सी के तहत चार साल की अवधि के बाद सौंपे जाते हैं, तो तीसरे पक्ष के निर्धारिती का पूर्वाग्रह बड़ा होता है क्योंकि उसे वस्तुतः नवीनतम 10 वर्षों के लिए रिकॉर्ड को संरक्षित करना होगा जो कानून में आवश्यकता नहीं है। ऐसे विनाशकारी और कठोर परिणामों के लिए संसद को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर, धारा 153-सी का एक सादा पाठ उस व्याख्या का समर्थन करता है जिसे यह न्यायालय अपनाता है।

11. पूर्वगामी कारणों से, न्यायालय इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं रखता है; लागत पर आदेश के बिना, उन्हें तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान